बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

दिनांक 01.05.2012 को आयोजित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना समाशोधन समिति बैठक की कार्यवाही

बैठक में उपस्थिति :–

1. **श्री दीपक कुमार सिंह**
   प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना।

2. **श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, आंतरिक वित्तिय सलाहकार, उद्योग विभाग।**
   (वित्त विभाग, पटना के प्रतिनिधि)

3. **श्री अनिल कुमार ठाकुर, उप निदेशक, उद्योग**
   (उद्योग निदेशक, पटना के प्रतिनिधि)

4. **श्री एस. पी. राय, सहायक इंवारमेंट अभियंता**
   (अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि)

5. **श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंहा**
   अध्यक्ष, सी0आई0आई0, पटना।

6. **श्री के. पी. एस. केसरी**
   अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना।

7. **श्री ओ. पी. साह**
   अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना (विशेष आमंत्रित सदस्य)।

8. **श्री भोगेन्द्र लाल**
   कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना / भागलपुर।

9. **श्री अखिलानंद**
   कार्यकारी निदेशक, बियाडा, दरभंगा / मुजफ्फरपुर।

क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर।

सर्वप्रथम औद्योगिक विकास केन्द्र, मंरगा के आवेदनों की समीक्षा की गई।

1. **सर्वश्री पोद्दार राईस मिल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा राईस मिल (अरवा) उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

   प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक को परियोजना की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2. **सर्वश्री राधा ऑटो ट्रैक प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** आवेदक अनुपस्थित हैं। गत पी० सी० सी० में भी आवेदक अनुपस्थित थे। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

3. **सर्वश्री प्रसाद उद्योग, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा दाल मिल हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक के पास निकट में गुलाबबाग बाजार समिति परिषर में प्रार्याप्त स्थान उपलब्ध है जहॉ वह दाल मिल का कार्य भी करते है। इस लिए इन्हें पुनः औद्योगिक क्षेत्र में स्थान आवंटित करने का औचित्य नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

4. **सर्वश्री कोशी फीड्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** आवेदक अनुपस्थित हैं। गत पी० सी० सी० में भी आवेदक अनुपस्थित थे। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

5. **सर्वश्री कृष्णा डेयरी, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण, लस्सी के उद्योग स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 55757 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त परियोजना पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन के उपरान्त आवेदन को अगले पी० सी० सी० में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **सर्वश्री फारूक ऑटो वर्क्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा हीट पेन्टींग एण्ड डेन्टींग वर्क्स टू भिकेल्स (लाईट एण्ड हेवी) उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 15000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 5000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–18 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

7. **सर्वश्री पी० के० इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** आवेदक अनुपस्थित हैं। गत पी० सी० सी० में भी आवेदक अनुपस्थित थे। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. **सर्वश्री ऐश्वर्य बी०–एड ट्रेनिंग कॉलेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** आवेदक अनुपस्थित हैं। इनका आवेदन अगली पी.सी.सी. बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

9. **सर्वश्री अवाकस रेन्यूवल इनर्जी प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा कोल्ड स्टोरेज एण्ड बेबी कॉर्न प्रोसेसिंग एण्ड पैकेजींग यूनिट उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 217800 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त मात्र बेबी कॉर्न प्रोसेसिंग हेतु इनके आवेदन को अगले पी० सी० सी० में

रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदक को यह भी निर्देश दिया गया कि इसी बीच वे राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना का अनुमोदन करवा लें।

10. **सर्वश्री मगध डेयरी, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण के उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त परियोजना पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन के उपरान्त आवेदन को अगले पी० सी० सी० में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

11. **सर्वश्री श्री अष्टविनायक केपिटल, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा डिस्पोजल ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी आवेदकों को कलस्टर के तहत रखा जाय। इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

12. **सर्वश्री बिहार प्लाईउड सिंडिकेट, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा प्लाईउड उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 87120 वर्ग फीट भूमि आवंटन की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

13. **सर्वश्री विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा कैट्‌ल एवं पॉल्ट्री फीड के उद्योग स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक को परियोजना की प्रारंभिक जानकारी नही है। समिति ने यह महसूस किया कि यह आवंटन के बाद भू–खण्ड को वस्तुतः व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहते है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

14. **सर्वश्री सन फीड, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पॉल्ट्री फीड उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 25000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 10890 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–17 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

15. **सर्वश्री स्टेफ मेडिकल केयर इंडिया प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा फ्रूट एण्ड भेजीटेवल प्रोसेसिंग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 87120 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 21355 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–4 (P) आवंटन करने का सौद्धान्तिक निर्णय लिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना अनुमोदन के पश्चात् आवंटन पत्र देने का निर्णय लिया गया।

16. **सर्वश्री बंगाल मोटर्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा ऑटो मोबाईल वर्क शॉप की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 30000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

17. **सर्वश्री बंगाल इन्टरप्राईजेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा सीमेंट पोल, भेन्टीलेटर, डोर, विण्डो, टाईल्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना बायबल भी नहीं है एवं आवेदक को प्रारंभिक परियोजना की जानकारी भी नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

18. **सर्वश्री जायसवाल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा स्टील फैब्रीकेशन उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

19. **सर्वश्री बाबा सेफ्टी ग्लास, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा लेमीनेटेड सेफ्टी ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 11000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 6240 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–24 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

20. **सर्वश्री संगम मोटर्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा बस ट्रक बॉडी बिल्डर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

21. **सर्वश्री सानिया इन्टरप्राईजेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 25000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

22. **सर्वश्री हर्ष क्रियेशन, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा प्रींटिंग औन टाईल्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 10800 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 11000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–70 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

23. **सर्वश्री मेट्रो आयरन फाउण्ड्री, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा फाउण्ड्री उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में अतिरिक्त रकवा 5000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को अतिरिक्त रकवा 3750 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–1 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

24. **सर्वश्री सूर्या हेचरी प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा सेटेलाईट हेचरी उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में अतिरिक्त रकवा 8000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को अतिरिक्त रकवा 8000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–4 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

25. **सर्वश्री राठी फीड्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पॉल्ट्री एण्ड कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में अतिरिक्त रकवा 6000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को अतिरिक्त रकवा 5000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–2 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

26. **सर्वश्री स्काई लार्क फीड्स प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पॉल्ट्री फीड उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई के आवेदन को सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क को आवंटित भूमि के पूर्ण सीमांकन तक लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

27. **सर्वश्री प्रमीला इन्टरप्राईजेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

28. **सर्वश्री थर्टीन बुल्स इन्फ्रा प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा होटल के साथ रेस्टुरेन्ट एण्ड रिसोर्ट की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 217800 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में मात्र होटल के साथ रेस्टुरेन्ट के लिये रकवा 69000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–1 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना अनुमोदन के पश्चात् आवंटन पत्र देने का निर्णय लिया गया।

29. **सर्वश्री महफील पशु आहार, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** आवेदक अनुपस्थित हैं। अगली पी.सी.सी. बैठक में इनके आवेदन पर विचार किया जायेगा।

30. **सर्वश्री सरस्वती बॉडी बिल्डर्स एण्ड स्टील फर्नीचर, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा बॉडी बिल्डिंग एवं स्टील फर्नीचर वर्क्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 45000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

31. **सर्वश्री एस० के० इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पेभिंग ब्लॉक एवं ह्यूम पाईप उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 30000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह देखा गया कि आवेदक की पत्नी द्वारा भी समान परियोजना पर आवेदन दिया गया है (क्रम सं०–36)। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

32. **सर्वश्री सीड प्रोसेसिंग यूनिट, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा सीड प्रसंस्करण के उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 45000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त बड़ा भू–खण्ड उपलब्ध होने तक इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

33. **सर्वश्री शिव पॉलिमर, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा डिसपोजेबल ग्लास एण्ड कप उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 30000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी आवेदकों को कलस्टर के तहत रखा जाय। इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

34. **सर्वश्री कैसर वाटर एण्ड वेभरेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 40000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

35. **सर्वश्री एस० एस० डेयरी फूड प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा आईसक्रीम एण्ड अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 15000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 10890 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–73 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

36. **सर्वश्री एन० के० इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा सीमेन्ट कान्क्रीट पेभींग ब्लैक्स एण्ड फ्लाई ऐस ब्रीक्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 30000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 11600 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–60 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

37. **सर्वश्री बाबा का ढाबा, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा ढाबा की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 7500 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि ढाबा खोलने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की भूमि आवंटित करना उचित नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

38. **सर्वश्री मां दूर्गा फ्लोर मिल , औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा आटा एवं चोकर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 21780 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक को परियोजना की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

39. **सर्वश्री दिव्यांश इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा डेयरी प्रोडक्ट उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि परियोजना वायबल नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

40. **सर्वश्री इंडिका ओवरसीज (प्रा०) लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 87120 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 65000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–NS आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना अनुमोदन के पश्चात् आवंटन पत्र देने का निर्णय लिया गया।

41. **सर्वश्री शिल्पी नर्सिंग कॉलेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 65340 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 21780 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–17 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना अनुमोदन के पश्चात् आवंटन पत्र देने का निर्णय लिया गया।

42. **सर्वश्री खुशी उद्योग, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा पी. भी. सी. पाईप उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 30000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक को परियोजना की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

43. **सर्वश्री सरस्वती एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा बी–एड/एम–एड संस्थान हेतु अपने आवेदन में रकवा 65340 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि समान परियोजना हेतु निवेशक के द्वारा एक और आवेदन दिया गया है (क्रम सं०–44)। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

44. **सर्वश्री स्वदेशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा बी–एड/एम–एड संस्थान हेतु अपने आवेदन में रकवा 65340 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 40000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–5 (P) एवं 6 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

45. **सर्वश्री शुद्ध पंजाबी फुड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा स्पाईस/मसाला/सत्तु/वेसन/मिक्चर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–1 (P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

46. **सर्वश्री ओम साईं ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा फ्लाई ऐश उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 87120 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। साक्षात्कार के समय आवेदक के द्वारा बताया गया कि अगर मरंगा में भूमि उपलब्ध नहीं है तो पूर्णियाँ सिटी में भू–आवंटन हेतु आवेदन को रखा जाय। समिति के द्वारा इस आशय का पत्र देने का निर्देश आवेदक को दिया गया। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को पूर्णियाँ सिटी के लिए लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

47. **सर्वश्री कृष्णा इन्टरप्राईजेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा** के द्वारा डिस्पोजल ग्लास एण्ड कप उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी आवेदकों को कलस्टर के तहत रखा जाय। इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद कहलगॉव विकास केन्द्र के लिए प्राप्त आवेदनो की समीक्षा की गई।

48. सर्वश्री राम एण्ड कम्पनी, विकास केन्द्र, कहलगॉव

49. सर्वश्री सहायता मेटल फॉर्गिंग विकास केन्द्र, कहलगॉव

50. सर्वश्री सिधंनिया कंस्ट्रक्सन वर्क्स, विकास केन्द्र, कहलगॉव

51. सर्वश्री बालमुकुंद सिमंट एण्ड रुफिंग लिमिटेड, विकास केन्द्र, कहलगॉव

52. सर्वश्री गीन कंक्रीटेक्स सिमंट प्राईवेट लिमिटेड, विकास केन्द्र, कहलगॉव

उपरोक्त आवेदन विकास केन्द्र, कहलगॉव में भूमि आवंटन के लिए है। विकास केन्द्र, कहलगॉव में भूमि विवादित होने के कारण वर्त्तमन समय में किसी इकाई को भूमि का

आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि क्रम सं० 48 से 52 तक के आवेदनों को भूमि विवाद मुक्त होने के उपरांत ही आगामी पी० सी० सी० की बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर के लिए प्राप्त आवेदनो की समीक्षा की गई।

53. **सर्वश्री मगध इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा आई०टी०आई० की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

एक ही क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा बीड के आधार पर 20000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं०	नाम	बीड की राशि (प्रति वर्ग फीट में)
53	सर्वश्री मगध इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर	26/–
56	सर्वश्री माँ शीला इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर	20/–
57	सर्वश्री लॉर्ड बृद्धा इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर	22/–

अधिकत्तम बीड की राशि सर्वश्री मगध इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर के द्वारा अंकित किया गया है। समीक्षोपरान्त सर्वश्री मगध इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर को रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–A-13, A-14, A-15, A-16 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

54. **सर्वश्री रामजी सिंह ठाकुर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा बिल्डर्स हार्डवेयर इकाई की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43040 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 10000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–A-11 एवं A-12 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

55. **सर्वश्री सरस्वती विद्या मंदिर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा स्कूल की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 217800 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में स्कूल का रहना प्रदूषण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

56. **सर्वश्री मां शीला इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

कार्यवाही की विवरणी क्रम सं० 53 में अंकित है।

57. **सर्वश्री लॉर्ड बुद्धा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 15000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

कार्यवाही की विवरणी क्रम सं० 53 में अंकित है।

58. **सर्वश्री मर्सी इन्स्टीच्यूट, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** आवेदक अनुपस्थित हैं। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

59. **सर्वश्री डीएसआरएल (डा० शर्माज रिसर्च लैब), औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा आयुर्वेदीक मेडिसीन बनाने हेतु अपने आवेदन में रकवा 20000 से 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 20000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–C-11 एवं C-12 आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदक को संशोधित प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया गया जिसकी परियोजना लागत कम से कम 50.00 लाख रू० हो तथा आवेदक को आवंटित स्थल का अधिकत्तम भाग हरा–भरा रखना होगा।

60. **सर्वश्री पीताम्बर ब्रीक्स उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर** के द्वारा फ्लाई ऐश ब्रीक्स उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 43560 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 40000 वर्ग फीट भूमि प्लॉट सं०–E-1 एवं E-2 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

61. सर्वश्री विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरविसगंज

62. सर्वश्री गुप्ता एण्ड सन्स ट्रडरर्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरविसगंज

63. सर्वश्री न्यू क्रियेशसन्स, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरविसगंज

64. सर्वश्री ग्रीन ऑटोमोबाईल वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरविसगंज

65. सर्वश्री के. के. बायो मास पावर प्राईटेड लिमिटेड, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी

66. सर्वश्री अटलांटिस हॅास्पीटल, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी

67. सर्वश्री प्रगति फुड प्रोडक्ट (अतिरिक्त), औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी

68. सर्वश्री डी. जे. फ्रुटस प्रोडक्ट (अतिरिक्त) औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी

69. सर्वश्री जयश्री प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी

70. सर्वश्री विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड, औद्योगिक प्रांगण, कटिहार

71. सर्वश्री शिव शक्ति राईस मिल, औद्योगिक प्रांगण, कटिहार

72. सर्वश्री जुगत बेकर्स (अतिरिक्त) औद्योगिक प्रांगण, कटिहार

क्रम सं० 61 से 72 तक के आवेदन को आगामी पी० सी० सी० की तिथि निर्धारित होने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

73. **सर्वश्री विनसम इन्टरनेशनल लि०, औद्योगिक क्षेत्र, किशनगंज (भेडियाडांगी)** के द्वारा रॉ जूट प्रोक्यूरमेंट एण्ड प्रोसेसिंग सेन्टर उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 172800 (3. 97 एकड़) वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 3 एकड़ भूमि प्लॉट सं०–1(P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

74. **सर्वश्री जे० के० लक्ष्मी सीमेन्ट लि०, औद्योगिक क्षेत्र, किशनगंज (भेडियाडांगी)** के द्वारा सीमेन्ट उद्योग की स्थापना हेतु अपने आवेदन में रकवा 1611720 (37 एकड़) वर्ग फीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक विचार–विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा 34.64 एकड़ भूमि प्लॉट सं०–1(P) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना अनुमोदन के पश्चात् आवंटन पत्र देने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं० 75 से 105 तक के आवेदनों जो वृहत औद्योगिक प्रॉगण, बरारी के लिए है, को आगामी पी० सी० सी० की तिथि निर्धारित होने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
भोगेन्द्र लाल
कार्यकारी निदेशक
बियाडा, पटना।

ह0/–
दीपक कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
बियाडा, पटना।